पत्र संख्या-स्था-2-प्रशिक्षण कार्यक्रम/**2025-26/COMP NO518253/**2852 / राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक :: 12/9/ 2025

// आदेश //

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद में FUNCTIONING OF MOBILE UNITS के सम्बन्ध में दिनांक 23-09-2025 से 25-09-2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SN	EMPID	NAME	DES	OFF_NAME	MOBILE
1.	124707	Anju Rawat Ms.	AC	AC (Mobile Squad) - 7,Agra	9971406955
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.	125087	Jay Prakash Verma	AC	AC (Mobile Squad) - 3,Agra	7235002989
4.	124494	Kedarnath	AC	AC (Mobile Squad) - 5,Agra	7599448475
5.	125351	Krishna Murari Mishra-Ii	AC	AC (Mobile Squad) -3,Ghaziabad	7235002769
6.	124864	Kumar Navin	AC	AC (Mobile Squad) Bulandshahar	7007345817
7.	125176	Sachin Kumar-Ii	AC	AC (Mobile Squad) - 4,Agra	7052812969
8.	127431	Amit Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -4,Ghaziabad H/o Hapur	9810431205
9.	126804	Dinesh Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -1,Shamli	9897435185
10.	126960	Kapil Gupta	STO	AC (Mobile Squad) -2,Meerut	8808506664
11.	126863	Krishna Mohan Sharma	STO	AC (Mobile Squad) - 9,Agra	9410410927
12.	126660	Pramod Kumar Mishra	STO	AC (Mobile Squad) -9,Ghaziabad	9410633496
13.	127300	Raja Chaudhary	STO	AC (Mobile Squad) -4,Saharanpur	8287346013
14.	125917	Rajeev Kumar-Vi	STO	AC (Mobile Squad) - 1,Mathura	7503903361
15.	999966	Ravindra Kumar Srivastava	STO	AC (Mobile Squad) Bulandshahar	9452844282
16.	127149	Rohit Pant	STO	AC (Mobile Squad) - 1,Agra	9953039173
17.	126996	Srishti Singla Smt	STO	AC (Mobile Squad) -10,Agra	9818654478

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 23-09-2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियबाद के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक 23-09-2025 की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। **<u>अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-</u>**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।

4099
श्रीमती पूर्णिमा
16.9.25
DC (I.T)
15-9-25

अनुमति नहीं होगी ।

- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यकम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 12-09-2025
14:16:35

(धनंजय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्याइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
JASMINE
Date: 12-09-2025
14:18:55

(जैस्मिन)
संयुक्त आयुक्त(स्थापना)
राज्य कर मुख्यालय,
लखनऊ।